न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

प्रार्थीगण :–

1. औंकारसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
   निवासी मुण्डोता, परबतसर
2. पन्नैसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
   निवासी मुण्डोता, परबतसर
3. गजेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत
   मुण्डोता, परबतसर
4. जितेन्द्रसिह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत
   मुण्डोता, परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :–

1. तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना–पत्र बाबत् :– 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
मुकदमा नम्बर :– 2025 / 114

निर्णय दिनांक :–21.07.2025

निर्णय

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह वाद पत्र पेश किया है कि ग्राम मुण्डोता तहसील परबतसर की सरहद में खेत खसरा नम्बर 328 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 2.3100 हैक्टर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 354 रकबा 4.6000 हैक्टर कुल खसरान 4 कुल रकबा 7.6300 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 250 / 1 मीन, 267 / 1, 266, 267 है व खसरा नम्बर 357 रकबा 2.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 2.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 2.6700 हैक्टर कुल खसरान 3 कुल रकबा 6.7100 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 267 / 2, 267 / 3, 49 है जो प्रार्थीगण की पैतृक व सहखातेदारी की है। विवादित आराजीयान की भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है। पहले प्रार्थीगण के दादा / परदादा रामसिंहजी की भूमि थी। रामसिंह के तीन पुत्र रणजीतसिंह, जयसिंह, सोनसिंह थे। रामसिंह की भूमि में से 1 / 3 हिस्सा रणजीतसिंह का, 1 / 3 हिस्सा जयसिंह का, 1 / 3 हिस्सा सोनसिंह का था। जयसिंह के पांच पुत्र है जिनका 1 / 15 – 1 / 15 हिस्सा आया हुआ है। जयसिंह के पुत्र किशोरसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनके दो पुत्र है जो प्रार्थी संख्या 3 व 4 है जिनका 1 / 30 – 1 / 30 हिस्सा बनता है व जयसिंह के पुत्र नाहरसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनका एकमात्र वारिस उनकी पत्नी सरजीतकंवर है। जयसिंह के पुत्र दलपतसिंह ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बैचान भंवरलाल, मदनलाल पिसरान मांगीलाल कुम्हार को कर दिया है तथा जयसिंह

के पुत्र नाहरसिंह की पत्नि सरजीतकंवर ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बैचान कमलादेवी पत्नि श्रवण कुमार जाति कुम्हार को कर दिया है। प्रार्थी संख्या 1 का विवादित आराजीयान की भूमि में 1/15 हिस्सा बनता है प्रार्थी संख्या 02 का विवादित आराजीयान की भूमि में 1/15 हिस्सा बनता है प्रार्थी संख्या 03 व 04 का विवादित आराजीयान की भूमि में 1/30 – 1/30 हिस्सा बनता है नये सेटलमेन्ट में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी संख्या 01 का विवादित आराजीयान की भूमि में 1/20 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 का विवादित आराजीयान की भूमि में 1/20 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 03 व 04 का विवादित आराजीयान की भूमि में 1/40 – 1/40 हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज कर रखा है जबकी प्रार्थी संख्या 01 का 1/15 हिस्सा , प्रार्थी संख्या 02 का 1/15 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 03 व 04 का 1/30 – 1/30 हिस्सा बनता है। राजस्व कर्मचारियों ने नये सेटलमेन्ट में राजस्व रेकर्ड मे गलती से प्रार्थीगण का हिस्सा कम दर्ज कर दिया है जबकी प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने जमाबन्दी की नकले निकलवाई तो प्रार्थीगण को पता चला की राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का हिस्सा कम दर्ज हो रखा है इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 01 के 1/20 हिस्से के स्थान पर 1/15 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 के 1/20 हिस्से के स्थान पर 1/15 हिस्सा, प्रार्थी सुंख्या 03 व 04 के 1/40 – 1/40 हिस्से के स्थान पर 1/30 – 1/30 हिस्सा दर्ज किये जाने की इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थना–पत्र वकील प्रार्थी द्वारा पेश किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सरकार को जवाब हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार परबतसर द्वारा जवाब भिजवाया गया, जिसके अनुसार ग्राम मुण्डोता के खसरा नम्बर 328 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 354 रकबा 4.60 हैक्टर, कुल खसरान 4 रकबा 7.63 हैक्ट व खसरा नम्बर 357 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 2.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 2.67 हैक्टर, कुल खसरान 03 रकबा 6.71 हैक्टर भूमि आई हुई है व प्रार्थना–पत्र के बिन्दु संख्या 2 से 3 सही है। प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/15 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 का हिस्सा प्रार्थी 3 का हिस्सा 1/30 प्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 1/30 बतना है, उसके स्थान पर प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/20 तथा प्रार्थी संख्या 3 व 4 का हिस्सा 1/40 –1/

हिस्सा दर्ज है। अत : प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/15 , प्रार्थी संख्या 2 का 1/15 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 व 4 का 1/30 – 1/30 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

अतः जवाब सरकार आने से जवाब बन्द कर वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र का समर्थन करते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी संख्या 01 के 1/20 हिस्से के स्थान पर 1/15 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 के 1/20 हिस्से के स्थान पर 1/15 हिस्सा, प्रार्थी सुंख्या 03 व 04 के 1/40 – 1/40 हिस्से के स्थान पर 1/30 – 1/30 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत 2012–2015, 2024–2027, 2031–2034, 2035–38, 2044–2047, 2048–2051, 2052–2055 व 2056–2059 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है तथा जमाबन्दी सम्वत 2065 की जमाबन्दी की प्रति पेश की है साथ में मिलान क्षेत्रफल की प्रति पेश की है व वर्तमान जमाबन्दीया पेश की है। इस प्रकार मुताबिक दस्तावेज व जवाब सरकार में भी प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/15 , प्रार्थी संख्या 2 का 1/15 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 व 4 का 1/30 – 1/30 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मुण्डोता तहसील परबतसर की सरहद में खेत खसरा नम्बर 328 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 2.3100 हैक्टर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 354 रकबा 4.6000 हैक्टर कुल खसरान 4 कुल रकबा 7.6300 हैक्टर व खसरा नम्बर 357 रकबा 2.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 360 रकबा 2.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 62 रकबा 2.6700 हैक्टर कुल खसरान 3 कुल रकबा 6.7100 हैक्टर में प्रार्थी संख्या 01 के 1/20 हिस्से के स्थान पर 1/15 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 के 1/20 हिस्से के स्थान पर 1/15 हिस्सा, प्रार्थी सुंख्या 03 व 04 के 1/40 – 1/40 हिस्से के स्थान पर 1/30 – 1/30 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार परबतसर की रिपोर्ट निर्णय का हिस्सा रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदारामद हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)